बजट 2008-2009 की प्रमुख विशेषताएं

अर्थव्यवस्था : एक सिंहावलोकन

- सप्रग सरकार के पहले तीन वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में 7.5 प्रतिशत, 9.4 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, जिसके परिणामस्वरुप, 8.8 प्रतिशत की अप्रत्याशित औसत वृद्धि दर रही। वृद्धि में प्रमुख भूमिका 'सेवा' और 'विनिर्माण' क्षेत्रों की रही है, जिनके क्रमानुसार 10.7 प्रतिशत और 9.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- वर्ष 2007-08 में कृषि में वृद्धि दर के 2.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- वर्ष 2007-08 में खाद्यान उत्पादन के 219.32 मिलियन टन का अनुमान है जो अब तक का रिकार्ड है। 94.08 मिलियन टन चावल, 16.78 मिंलियन टन मक्का, 9.45 मिलियन टन सोयाबीन 23.38 मिलियन गांठ कपास का उत्पादन हुआ है जो अब तक का रिकार्ड है।
- सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय किसान नीति के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 25,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 4,882 करोड़ रुपए के परिव्यय के काम आरंभ किए गए।

विकास की गाथा तीव्रतर तथा अधिक समावेशी

- मार्च 2008 तक कृषि ऋण 2,40,000 करोड़ रुपए तक हो जाएगा।
- विश्व में सबसे बड़ा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, इस योजना में 11.4 करोड़ बच्चे शामिल हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 8,756 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्यकाल 24 घंटे कर दिया गया है।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में आवासीय विद्यालयों में 1,82,000 बालिकाओं को नामांकित किया गया है।

भारत निर्माण

- भारत निर्माण ने 2007-08 में प्रभावशाली प्रगति की है जिसमें प्रतिदिन 290 निवास स्थानों को पेय जल प्रदान किया जाता है, 17 निवास स्थानों को सर्वऋतु सड़क से जोड़ा गया है, 52 गांवों को टेलीफोन मुहैया कराया गया, 42 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और प्रतिदिन 4113 ग्रामीण मकान तैयार किए जाते हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना : महत्वपूर्ण द्वितीय वर्ष

- वर्ष 2008-09 में सकल बजटीय सहायता 2007-08 के मुकाबले 38,286 करोड़ रुपए बढ़ाकर 2,43,386 करोड़ रुपए कर दी गई है। केन्द्रीय आयोजना का आवंटन 1,79,954 करोड़ रुपए किया गया है, जो 2007-08 से 16 प्रतिशत अधिक है, भारत निर्माण के लिए 31,280 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- *सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) और मध्याहन भोजन योजना* : सर्वशिक्षा अभियान को 13,100 करोड़ रुपए दिए गए और इसका केन्द्र बिन्दु प्राथमिक स्तर पर पहुंच और अवसंरचना से बदल कर स्कूलों में बच्चों के बने रहने शिक्षण की गुणवन्ता में सुधार, मध्याहन भोजन बढ़ाने पर बल दिया जाने लगा। मध्याहन भोजन को 8,000 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा पर 4,554 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

- *जवाहर नवोदय विद्यालय* : 2008-09 में अ.जा. और अ.ज.जा. की बहुलता वाले 20 जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए 130 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है।

- *कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय* : शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 410 अतिरिक्त विद्यालयों के लिए निधि (एसएसए के भाग के रूप में) प्रदान की गई है। बालिका विद्यालय से सम्बद्ध नए छात्रवास खोलने अथवा मौजूदा छात्रवासों के उन्नयन के लिए 80 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

- *राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृति* : चार वर्ष में 3000 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि का निर्माण करने के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2008-09 से क्रियान्वित करके 1,00,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी।

- *नेहरु युवा केन्द्र* : 123 जिलों में केन्द्र स्थापित करने और पहले वर्ष में आवर्ती व्यय पूरा करने के लिए 2008-09 में 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

- *मध्याह्न भोजन योजना* : इस योजना का विस्तार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए सभी ब्लॉकों में किया गया है जिससे 2.5 करोड़ बच्चों को लाभ होगा जिससे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले बच्चों की कुल संख्या 13.9 करोड़ हो जाएगी।

- *उच्च शिक्षा संस्थान* : भारत को ज्ञान आधारित समाज बनना है, तीन आईआईएसईआर मोहली, पुणे और कोलकाता में, तथा एक आईआईआईटी कांचीपुरम में कार्य करना आरंभ कर दिया है। सरकार 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी; तीन शामिल न किए गए राज्यों में; दो आईआईएसईआर भोपाल तिरुवनन्तपुरम में; और दो योजना और वास्तुकला के विद्यालय भोपाल और विजयवाड़ा में, डेकन कॉलेज स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान पुणे के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।

- *विज्ञान और प्रौद्योगिकी* : उत्प्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान वृन्ति (इन्सपायर) में नवोन्मेष के लिए 85 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है; जिसमें नौजवान शिक्षार्थियों (10-17 वर्ष) की छात्रवृत्तियों, सतत विज्ञान शिक्षा छात्रवृत्तियां (17-22 वर्ष) और अनुसंधान कैरियर के लिए अवसरों (22-32 वर्ष) के लिए 85 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है।

- *स्वास्थ्य सेक्टर* : सेक्टर के लिए 16,534 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 2007-08 की तुलना में 15% की वृद्धि है।
  राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) : 462,000 सम्बन्धित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है 177,924 ग्रामीण स्वच्छता समितियां कार्यरत हैं और 323 जिला अस्पतालों का उन्नयन कार्य हाथ में लिया गया है। एनआरएचएम का आवंटन बढ़ाकर 12,050 करोड़ रुपए किया गया है।

- *एचआईवी/एड्स* : राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को 993 करोड़ रुपए प्रदान किया गया।

- *पोलियो* : पोलियो को समाप्त करने का अभियान संशोधित रणनीति के तहत जारी है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के उच्च जोखिम वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2008-09 में 1,042 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।

- *राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना* : राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को स्वास्थ्य कवर के लिए 30,000 रुपए प्रदान करना, जिसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बीपीएल श्रेणी में आने वाले प्रत्येक ऐसे कामगार और उसके परिवार शामिल होंगे। यह योजना दिल्ली और हरियाणा तथा राजस्थान राज्य में 1 अप्रैल, 2008 को आरंभ की जाएगी। केन्द्र के हिस्से के प्रीमियम के बतौर 2008-09 में 205 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

- *राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम* : राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम 2008-09 में 400 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय के साथ आरंभ किया जाएगा। दो राष्ट्रीय वृद्ध संस्थान, आठ क्षेत्रीय केन्द्र और एक मेडिकल कालेज/ तृतीयक (टरशियरी) अस्पताल में एक जरा चिकित्सा देखभाल विभाग ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित करेंगे।

- *एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)* : आईसीडीएस के लिए आवंटन वर्ष 2007-08 में 5293 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 6,300 करोड़ रुपये किया गया; आंगनवाड़ी कार्यकताओं के लिए मेहनताना 1,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया जा रहा है, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मेहनताना 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है, इस वृद्धि से 18 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयिकाओं को लाभ होगा; दिसम्बर 2007 के अंत में आईसीडीएस के अंतर्गत 5,959 आईसीडीएस परियोजनाएं और 932,000 आंगनवाड़ी और छोटे आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत थे।

अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रम

- *राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस)* : एनआरईजीएस भारत के सभी 596 ग्रामीण जिलों में 16,000 करोड़ रुपये के प्रावधान से शुरु की जाएगी। रोजगार की वैध गारंटी को पूरा करने के लिए अधिक मांग होने पर और अधिक धन उपलब्ध कराया जाएगा।

- *जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)* : जेएनएनयूआरएम के लिए आवंटन 2007-08 में 5,482 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2008-09 में 6,866 करोड़ रुपये किया गया।

- *राजीव गांधी पेयजल मिशन* : राजीव गांधी पेयजल मिशन के लिए आवंटन 2007-08 में 6,500 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 में बढ़ाकर 7,300 करोड़ रुपये किया गया।

- पूर्ण स्वच्छता अभियान को 2008-09 में 1,200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे।

- *चेन्नई के निकट अपक्षारीकरण संयंत्र* : सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले अपक्षारीकरण संयंत्र के लिए 2008-09 में 300 करोड़ रुपये।

- *पूर्वोत्तर क्षेत्र* : पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को 1455 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस राशि सहित, एनईआर के लिए कुल बजट आवंटन 2007-08 में 14,365 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2008-09 में 16,447 करोड़ रुपये किए जाएंगे। जिसमें सफाई कर्मचारी, अनुसूचित जाति और पिछड़े शामिल हैं।

- *विकास और वित्त निगम* : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त इक्विटी अंशदान 75.00 करोड़ रुपये प्रस्तावित; कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम 106.50 करोड़ रुपये; राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाती वित्त और विकास निगम 50.00 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय विकलांग विकास निगम 9.00 करोड़ रुपये।

- *छात्रवृत्तियां* : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए पिछले बजटों में घोषित पूर्व मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को 2008-09 में भी निधियां मिलेंगी, अनुसूचित जाति (804 करोड़ रुपए) अनुसूचित जनजाति (195 करोड़ रुपये), अन्य पिछड़े वर्ग (164 करोड़ रुपये) और अल्पसंख्यक (मैट्रिकोत्तर) (100 करोड़ रुपये)।

- *राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्योतावृत्ति कार्यक्रम* में एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम में पढ़ रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सहायता हेतु 2008-09 में 75 करोड़ रुपये आवंटित।

- *अल्पसंख्यक* : अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए आवंटन 2007-08 में 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2008-09 में 1,000 करोड़ रुपये किया गया, न्यायमूर्ति राजिन्द्र सच्चर समिति की रिपोर्ट पर तेजी से क्रियान्वयन शुरु।

महिला और बाल

- 100% महिला विशिष्ट कार्यक्रम के लिए परिव्यय 11,460 करोड़ रुपये और 16,202 करोड़ रुपये उन स्कीमों के लिए है जहां कम से कम 30% आवंटन महिला विशिष्ट कार्यक्रम के लिए है।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए आवंटन 24 प्रतिशत बढ़ाकर 2008-09 में 7,200 करोड़ रुपये किया गया।

स्व सहायता समूह

- भारतीय जीवन बीमा निगम जो जनश्री बीमा योजना संचालित करता है और जीवन व स्थायी विकलांगता के लिए कवर हेतु स्कीम का विस्तार के लिए कहा गया है; सभी महिला स्व-सहायता समूह जो बैंकों की ऋण व्यवस्था से जुड़े हैं को शामिल करना; इस सामात्रिक सुरक्षा निधि के कार्पस को अंशदान के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित स्कीम का विस्तार होने पर वार्षिक अंशदान किया जाएगा।

सकल बजटीय सहायता के लिए सम्पूरण

- वर्ष 2007-08 में दो पूरक मांगों के जरिए आयोजना 'ख' के लिए अतिरिक्त निधियों के रूप में 8,365 करोड़ रुपए नकद उपलब्ध कराए गए; वर्ष 2008-09 में भी आयोजना 'ख' के अन्तर्गत 10,000 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएंगे।

कृषि ऋण

- वर्ष 2007-08 कृषि ऋण की वृद्धि के लिए निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़ जाएंगे। वर्ष 2008-09 के लिए 280,000 करोड़ रुपए के निर्धारित लक्ष्य अल्पावधि फसल ऋणों सहित 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संवितरित किए जाते रहेंगे; 2008-09 में ब्याज सहायता के लिए 1,600 करोड़ रुपए का प्रारम्भिक प्रावधान किया जाएगा।

कृषि में निवेश

- कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में समग्र पूंजी निर्माण (जीसीएफ) 2003-04 में 10.2 प्रतिशत के निम्न स्तर से सुधरकर 2006-07 में 12.5 प्रतिशत हो गया; ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4 प्रतिशत के वृद्धि दर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे 16 प्रतिशत किया जाएगा।

जल संसाधन

- *त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) :* 24 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तथा 753 छोटी सिंचाई योजनाएं 2007-08 में पूरी की जाएंगी, जो 500,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन; 2008-09 के परिव्यय को 2007-08 में 11,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए किया गया।
- *वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम* को अन्तिम रूप दिया गया और उसे 348 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 2008-09 में कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अभी तक जल संभरण विकास योजनाओं के लाभार्थी नहीं रहे हैं।
- *सूक्ष्म सिंचाई सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना :* 400,000 हेक्टेयर को शामिल करने के लक्ष्य के साथ 2008-09 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है।

- *जल निकाय :* जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और बहाली की परियोजना के अन्तर्गत तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने विश्व बैंक के साथ 738 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि के समझौते किए। इसी प्रकार के समझौते विश्व बैंक और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा अन्य कुछ राज्यों के साथ किए जाएंगे।

- *सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम :* सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में 14 सिंचाई परियोजनाओं स्वीकृत की गयी; सिंचाई तथा जल संसाधन वित्त निगम केन्द्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की आरम्भिक पूंजी से गठित करना प्रस्तावित है जो दीर्घकाल तक चलने वाली बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निधिपोषण करेगी।

- *राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) :* एनएचएम के अन्तर्गत 18 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों के 340 जिलों को कवर करते हुए 1,100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए।

- *मृदा परीक्षण :* सरकार की 30 लाख रुपए प्रति प्रयोगशाला को सहायता प्रदान करने के साथ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। कृषि मंत्रालय को 75 करोड़ रुपए का एक बारगी आवंटन किया जा रहा है ताकि देश के 250 जिलों में एक-एक पूर्णतया सज्जित चलती-फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाए।

- *बागवानी फसलें :* पुनःरोपण और नवीकरण के लिए गठित विशेष प्रयोजन चाय निधि को 2008-09 में 40 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे; चाय, रबर, तम्बाकू, मिर्च, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, और इलायची के लिए फसल बीमा योजना प्रारम्भ की जाएगी।

- हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय स्वस्थ्य पादप प्रबन्धन संस्थान में बदला जाएगा और उन्नयन किया जाएगा।

- *फसल बीमा :* राष्ट्रीय कृषि योजना को इसके वर्तमान स्वरूप में खरीफ और रबी 2008-09 में जारी रखा जाएगा; इसके लिए 644 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

- 5 राज्यों के चुनिंदा क्षेत्रों में प्रायोगिक योजना के रूप में कार्यान्वित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखा जाएगा; वर्ष 2008-09 में इस प्रयोजन हेतु 50 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

- *उर्वरकों के लिए सब्सिडी :* सरकार किसानों को सब्सिडी युक्त कीमतों पर उर्वरकों को उपलब्ध कराती रहेगी; पोषक आधारित सब्सिडी व्यवस्था और सब्सिडी देने के वैकल्पिक तरीके अपनाने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

- *सहकारी ऋण संरचना* : अल्पावाधिक सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन संबंधी प्रोफेसर वैधनाथन समिति की रिपोर्ट 17 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। अब तक, केन्द्र सरकार द्वारा चार राज्यों को 1,185 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुजीवन संबंधी रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के पैकेज की सहमति संबंधी एक समझौते पर पहुंच गए हैं। केन्द्र सरकार का हिस्सा कुल भार का 2,642 करोड़ रुपए अथवा 86 प्रतिशत होगा।

- *किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत*

    - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा 31 मार्च, 2007 तक संवितरित सभी ऋण और 31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार अतिदेय को इस योजना के तहत शामिल किया गया है;

    - सीमांत किसानों और छोटे किसानों के लिए उन सभी ऋणों की पूर्ण माफी होगी, जो 31 दिसम्बर, 2007 की अतिदेय हो गए थे और जो 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे;

- अन्य किसानों के संबंध में सभी ऋणों के लिए एक बारगी निपटान योजना होगी । जो 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय हो गए और जो 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे; एक बारगी निपटान के अंतर्गत 75 प्रतिशत शेष के भुगतान के एवज में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करना;
- वर्ष 2004 और 2006 में विशेष पैकेजों के माध्यम से पुनर्संरचित और पुनर्निर्धारित कृषि ऋण या तो माफी के अथवा इसी पद्धति पर एक बारगी निपटान के पात्र होंगे;
- ऋण माफी और ऋण राहत योजना का कार्यान्वयन 30 जून, 2008 तक पूरा हो जाएगा; राहत प्राप्त ऐसे किसान सामान्य नियमों के अनुसार बैंकों से नए सिरे से कृषि ऋण प्राप्त करने के हकदार होंगे;
- लगभग 3 करोड़ रुपए छोटे और सीमांत किसानों तथा लगभग 1 करोड़ अन्य किसानों को इस योजना से लाभ प्राप्त होगा; माफ किए जा रहे अतिदेय ऋणों का कुल मूल्य 50,000 करोड़ रुपए अनुमानित है और एक बारगी निपटान 10,000 करोड़ रुपए के अतिदेय ऋणों को राहत मिलने का अनुमान है।

निवेश, अवसंरचना, उद्योग और कारोबार

- वर्ष 2007-08 के अंत तक बचत दर और निवेश दर के क्रमशः 35.6 और 36.3 प्रतिशत होने का अनुमान है; अप्रैल-दिसम्बर 2007-2008 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 12.7 बिलियन अमरीकी डॉलर और विदेशी संस्थागत निवेश 18 बिलियन अमरीकी डॉलर राशि के रहे।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सहायता : वर्ष 2008-09 में सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में इक्विटी सहायता के रूप में 16,436 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 3,003 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी; वर्तमान में 44 सीपीएसई सूचीबद्ध है; सरकार की नीति है कि अधिक सीपीएसई को सूचीबद्ध किया जाए ताकि कॉरपोरेट अभिशासन में सुधार किया जा सके ।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

- ग्रामीण सड़कों के लिए अलग विंडो के साथ वर्ष 2008-09 में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)-XIV को बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपए करना।

विनिर्माण क्षेत्र

- पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि 20.2 प्रतिशत पर अभी भी बहुत ऊंची है, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को अधिक सुधारों के माध्यम से दो अंकों में ले जाने का लक्ष्य है।

विद्युत

- अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य 78,577 मेगावाट क्षमता है, मार्च 2008 के अंत तक 10,000 मेगावाट की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख का लक्ष्य प्राप्त करना है।
- *अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी):* चौथी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, तिलैया का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में बोली अवस्था के लिए पाँच और यूएमपीपी लाने की संभावना है।
- *राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना* : 28,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी रहेगी; 2008-09 के लिए 5,500 करोड़ रुपए का आवंटन।
- *त्वरित विद्युत विकास और सुधार परियोजना* : 2008-09 में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान, पारेषण और वितरण सुधार के लिए एक राष्ट्रीय निधि का सृजन।

सड़क

- *राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)* : एनएचडीपी के लिए आवंटन 2007-08 में 10,867 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 12,966 करोड़ रुपए किया गया; स्वर्णिम चतुर्भुज के पूरा होने की दर 96.48 प्रतिशत और उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम मार्ग परियोजना की दर 23.36 प्रतिशत; एसएआरडीपी-एनई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है; पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है; 2007-08 में 180 किमी. सड़कें पूरी की गईं और 2008-09 के लिए लक्ष्य 300 किमी.।

तेल और गैस

- नई खोज लाइसेंसिंग नीति के तहत बोली का 7वां दौर; 57 अन्वेषण ब्लाकों के लिए बोलियां आमन्त्रित की गई; अन्वेषण और खोज के लिए 3.5 बिलियन अमरीकी डालर से 8 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश आकर्षित होगा।

कोयला

- अप्रैल-जनवरी, 2007-08 के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को 13,842 मिलियन टन आरक्षित भण्डार वाले 53 कोयला ब्लाक आवंटित किए गए; नई कोयला वितरण नीति अक्तूबर 2007 में अधिसूचित की गई; कोयला विनियामक की नियुक्ति की जानी है।

सूचना प्रौद्योगिकी

- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का आवंटन 2007-08 में 1,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 1,680 करोड़ रुपए किया गया; ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 बॉड बैण्ड इंटरनेट आधारित सामान्य सेवा केंद्रों की स्थापना और केन्द्रीय सहायता से राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान) स्थापित करने की दो योजनाओं का कार्यान्वयन; राज्य आंकड़ा केन्द्रों के लिए नई योजना भी अनुमोदित की गई है; सामान्य सेवा केन्द्रों के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान; स्वान के लिए 450 करोड़ रुपए और राज्य आंकड़ा केन्द्रों के लिए 275 करोड़ रुपए का प्रावधान।

वस्त्र

- समेकित वस्त्र पार्क योजना और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि की योजनाएं ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी रहेगीं; 2008-09 में एसआईटीपी के लिए 450 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं; टीएफयू के प्रावधान को वर्तमान वर्ष में 911 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,090 करोड़ रुपए किया गया।

- *हथकरघा सेक्टर* : 250 समूहों का विकास किया जा रहा है और हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत 443 यार्न बैंकों की स्थापना की गई; मार्च 2008 तक स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 17 लाख से अधिक बुनकर परिवारों को कवर किया गया; आवंटन 2008-09 में बढ़ाकर 340 करोड़ रुपए किया गया; अवसंरचना और उत्पादन दोनों में वृद्धि करने के लिए, बड़े समूहों के रुप में छह केन्द्रों का विकास किया जा रहा है; वाराणासी और सिबसागर में हथकरघा, भिवंडी और इरोड में पावरलुम और नसारपुर एवं मुरादाबाद में हस्तशिल्प का विकास प्रत्येक मेगा समूह के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए की आवश्यकता; 2008-09 में 100 करोड़ रुपए का आरम्भिक प्रावधान किया गया।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम

- भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक (सिडबी) में जोखिम पूंजी निधि का सृजन किया जा रहा है; 31 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार सिडबी के साथ ऋण गारंटी न्यास ने 2,479 करोड़ रुपए की राशि के लिए 89,129 यूनिटों को गारंटी प्रदान की; सिडबी गारंटी शुल्क 1.5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत और 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वार्षिक सेवा शुल्क 0.75 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करेगा।

विदेश व्यापार

- निर्यातकों को तीन किस्तों में 8000 करोड़ रुपए से अधिक की राहत दी गई; बाजार स्थिरीकरण बॉंडों, जो एक अर्थ में निर्यात क्षेत्र को सब्सिडी है, के माध्यम से ब्याज निष्क्रियकरण लागत के वर्ष 2007-08 में 8,351 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

वित्तीय सेक्टर

- *वित्तीय समावेशन* : वित्तीय समावेशन संबधी समिति की दो सिफारिशें स्वीकार किए जाने के लिए प्रस्तावित, नामतः (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखा में प्रतिवर्ष कम से कम 250 ग्रामीण परिवारों को खाता खोलने की सलाह देना; और (ii) व्यष्टियों यथा सेवा निवृत्त बैंक अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों आदि को व्यवसाय सुविधाकारक या व्यापार सह-संबधी अथवा ऋण सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देना; बैंकों को समग्र वित्तीय समावेशन की अवधारणा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा; सरकार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कुछ सरकारी क्षेत्र के बैकों के नक्शे कदम पर चलने और स्व-सहायता समूह के सदस्यों की सभी ऋण संबधी आवश्यकताएं अर्थात आय उपार्जक क्रियाकलाप; सामाजिक आवश्यकताएं जैसे आवास, शिक्षा, विवाह आदि और ऋण अदला बदली की आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध करेगी।

- (i) नाबार्ड में इसकी अल्पावधिक सहकारी ऋण संस्थाओं को पुनर्वित्तपोषण कार्य में बढ़ोतरी के निमित्त 5,000 करोड़ रुपए की निधि का सृजन;

  (ii) सिडबी में प्रत्येक के लिए 2000 करोड़ की दो निधियां-एक जोखिम पूंजी वित्त पोषण और दूसरी एमएसएमई क्षेत्र की पुनर्वित्तपोषण क्षमता बढ़ाने के लिए;

  (iii) ग्रामीण आवास क्षेत्र में इसके पुनर्वितपोषण कार्य बढ़ाने के लिए एनएचबी में 1,200 करोड़ रुपए की निधि का सृजन;

  ये निधियां सामान्य दिशानिर्देशों से शासित होगी जो अब कुछ संशोधनों के साथ आरआईडीएफ को लागू है।

- *विभेदक ब्याज दर योजना* : लाभ प्रद व्यवसायों में लगे हुए कमजोर वर्गों के समुदाय के लिए डीआरआई स्कीम के तहत ऋण की उधारकर्ता की पात्रता मानदण्ड में बढ़ोतरी

पूंजी बाजार

- *कारपोरेट बांडों के लिए बाजार के विस्तार के उपाय* : एक्सचेंज व्यापारिक मुद्रा और ब्याज दर भावी सौदे आरम्भ करना और उपयुक्त संरक्षण सहित पारदर्शी ऋण व्युत्पाद बाजार विकसित करना; घरेलू परिवर्तनीय बांडों की कारोबारिता बढ़ाना, इससे निवेशक अंतर्निहित इक्विटी विकल्प को परिवर्तनीय बांड से अलग करने तथा इसका पृथक कारोबार करने में समर्थ होगा; अपनी जटिलता और अंतर्निहित जोखिमों पर आधारित वित्तीय लिखतों को वर्गीकृत करने हेतु बाजार आधारित प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित करना।

- *स्थाई खाता संख्या (पैन)* : उपयुक्त आरंभिक कर सीमाओं के अधीन वित्तीय बाजार में सभी लेनदेनों के लिए पैन को आवश्यक बनाना।

- *राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार* : राज्यों के वित्तमंत्रियों की सशक्त समिति से अनुरोध किया जाएगा कि वे प्रतिभूतियों के लिए वास्तव में एक अखिल भारतीय बाजार बनाने हेतु केन्द्र सरकार के साथ मिलकर काम करें जिससे बाजार के आधार का विस्तार होगा और राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि होगी।

अन्य प्रस्ताव

- *कौशल विकास मिशन* : बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षित कौशल के संबंध में चुनौतियों का समाधान करने के लिए सौंपे गए मिशन के साथ एक गैर लाभकारी निगम की स्थापना किया जाए। सरकारों, सरकारी और निजी क्षेत्र और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय स्त्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए एकत्र किया जाएगा। प्रस्तावित गैर-लाभकारी निगम में सरकार की इक्विटी 1,000 करोड़ रुपए की होगी।

- *औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान* : विश्व बैंक सहायता योजना के तहत 238 आईटीआई का उन्नयन किया जा रहा है, पीपीपी योजना के तहत 29 राज्यों में संगत औद्योगिक भागीदारों सहित 309 आईटीआई की पहचान की गई हैं और 244 मामलों में करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2008-09 में 750 करोड़ रुपए का प्रावधान 300 और आईटीआई का उन्नयन करने की प्रत्याशा में किया गया है।

- *सैनिक स्कूल* : 22 सैनिक स्कूलों में प्रत्येक को कक्षाओं प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, और शारीरिक शिक्षा सुविधाओं सहित आधारभूत ढांचे के तत्काल सुधार के लिए 2 करोड़ रुपए प्रति स्कूल की दर से 44 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

- *सार्वजनिक वितरण प्रणाली* : पीडीएस और अन्य कल्याण कार्यक्रमों के तहत खाद्य सब्सिडी के लिए अगले वर्ष 32,667 करोड़ रुपए प्रदान किया जा रहा है; हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में आरंभ किया जाना है, प्रायोगिक आधार पर स्मार्ट कार्ड आधारित वितरण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान वितरण के लिए आरंभ किया जाएगा।

- *असंगठित क्षेत्र के कामगार* : असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधेयक 2007 के कानून बनाए जाने की प्रत्याक्षा में असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए चरणबद्ध तरीके से योजनाएं शुरु की गई हैं;

  (i) आम आदमी बीमा योजना गरीब परिवारों को बीमा सुरक्षा देने के लिए योजना के पहले वर्ष में, चलाई गई है। एलआईसी 30 सितम्बर, 2008 तक एक करोड़ भूमिहीन परिवारों को कवर करेगी, 1500 करोड़ रुपए एलआईसी में रखा जाएगा, अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए 2008-09 में एलआईसी को दिया जाएगा जिससे कि दूसरे वर्ष में और एक करोड़ गरीब परिवारों को इसमें शामिल किया जा सके।

  (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का क्रियान्वयन 1 अप्रैल, 2008 से किया जाएगा; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम 19 नवम्बर, 2007 से विस्तारित की गई है; जिससे बीपीएल श्रेणी के 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जा सके, इसका विस्तार करके 87 लाख से 157 लाख लाभभोगियों को शामिल किया जाएगा 2007-08 में 2,392 करोड़ रुपए की तुलना में 2008-09 में 3,443 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है।

- *गरीबों के लिए आवास* : 60 लाख मकानों के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 2007 तक इंदिरा आवास योजना के तहत 41.13 लाख मकानों का निर्माण किया गया। मार्च अंत 2008 तक इंदिरा आवास योजना के तहत निर्माण किए गए मकानों की संचयी संख्या 51.77 लाख होगी; 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात स्वीकृत मकानों के संबंध में मैदानी इलाकों में प्रति इकाई सब्सिडी को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए और पर्वतीय/दुर्गम इलाकों में 27,000 रुपए से बढ़ाकर 38,500 रुपए निर्माण की उच्च लागत दर्शाते हैं। मकानों के उन्नयन के लिए सब्सिडी 12,500 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई है; सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ब्याज की विभेदक दर योजना के तहत इंदिरा आवास योजना को शामिल करने का सुझाव दिया गया है और 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 20,000 रुपए प्रतियूनिट ऋण देने का सुझाव दिया गया है।

- *रक्षा* : रक्षा के लिए आवंटन 10 प्रतिशत बढ़ाकर 96,000 करोड़ रुपए से 105,600 करोड़ रुपए किया गया।
- *पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि* : 2008-09 के लिए आवंटन वर्तमान वर्ष की तरह 5,800 करोड़ रुपए के उसी स्तर पर रखा गया है, राशि का 45 प्रतिशत बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों को आवंटित किए जाने की संभावना है।
- *जलवायु परिवर्तन* : विचारों के अन्वेषण तथा कार्यान्वयन में विकासात्मक और समन्वयनकारी भूमिका निभाने के लिए स्थायी संस्थागत तंत्र की स्थापना की जाएगी।
- *छठा केन्द्रीय वेतन आयोग* : दिनांक 31 मार्च, 2008 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- *राष्ट्रमंडल खेल* : वर्ष 2008-09 में 624 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएँगे।
- *उत्कृष्ट संस्थान* : तीन उत्कृष्ट संस्थानों को वर्ष 2008-09 का 100 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान दिया जाएगा-
  (i) महात्मा फुले कृषि विद्या पीठ, राहुरी, महाराष्ट्र
  (ii) मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर; और
  (iii) दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली।
- *भारत की सॉफ्टपावर* : संगीत, साहित्य, नृत्य कला, पाक कला और विशेषकर फिल्मों के क्षेत्र में भारत की 'सॉफ्ट पावर' प्रदर्शित करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को एक कार्यक्रम तैयार करने और कार्यान्वित करने हेतु 75 करोड़ रुपए दिए जाएँगे।
- *बाघ संरक्षण* : बाघ के संरक्षण हेतु, प्रयास को तेज करने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को 50 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान; अनुदान का अधिकांश भाग विशेष बाघ संरक्षण बल तैयार करने, उन्हें हथियार प्रदान करने और तैनात करने में उपयोग किया जाएगा।
- *मॉनिटरिंग और मूल्यांकन* :केन्द्रीय आयोजना स्कीमों की मॉनिटरिंग प्रणाली (सीपीएसएमएस) को आयोजना स्कीम के रूप में लागू और क्रियान्वयन किया जाएगा; एक व्यापक निर्णय सहायता प्रणाली और प्रबंधन सूचना प्रणाली भी स्थापित की जाएगी; वर्ष 2008-09 में लगभग 1000 केन्द्रीय आयोजना और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए योजनावार और राज्यवार राशियों का सृजन और मानीटर करने हेतु सहायता प्रणाली और प्रबंधन सूचना प्रणाली भी स्थापित की जाएगी; कुछ मंत्रालयों द्वारा शुरू किया गया समवर्ती मूल्यांकन जिसे अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकनों द्वारा पूरा किया जाएग।

बजट अनुमान

- आयोजना व्यय के 243386 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
- आयोजना-भिन्न व्यय के 507499 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
- वर्ष 2007-08 का राजस्व घाटा 1.4 प्रतिशत (ब.अ. का 1.5% से) तथा राजकोषीय घाटा 3.1 प्रतिशत होगा (ब.अ. के 3.3% से) केन्द्र सरकार की वर्ष 2008-09 की राजस्व प्राप्तियों के 602935 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय के 658,119 करोड़ रुपए होने का अनुमान है; वर्ष 2008-09 का राजस्व घाटा 55184 करोड़ रुपए अनुमनित है, जो स.घ.उ. का 1.0 प्रतिशत होगा; 2008-09 का राजकोषीय घाटा 133,287 करोड़ रुपए अनुमानित है जो स.घ.उ. का 2.5 प्रतिशत होगा; राजस्व घाटे को समाप्त करने हेतु एक और वर्ष लगेग; स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र के लिए व्यय में सचेत परिवर्तन के कारण।
- तेरहवें वित्त आयोग से, छठे वेतन आयोग के दायित्वों के निपटान के पश्चात राजकोषीय समंजन हेतु कार्य योजना पर पुनर्विचार करने और उपयुक्त संशोधित कार्य योजना का सुझाव देने का अनुरोध किया जाएगा।

कर प्रस्ताव

- जीडीपी के संबंध में कर का अनुपात जो 2003-04 में 9.2 प्रतिशत था 2007-08 के अंत में बढ़कर 12.5 प्रतिशत होना तय है।
- अप्रत्यक्ष कर में बजट अनुमान का लक्ष्य पूरा होगा और प्रत्यक्ष कर में बजट अनुमान से अधिक की प्राप्ति होगी।

अप्रत्यक्ष कर

सीमा शुल्क

- सीमा शुल्क की अधिकतम दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- परियोजना आयातो' पर सीमाशुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत; विद्युत क्षेत्र में कुछ निर्दिष्ट परियोजनाओं पर 4 प्रतिशत विशेष सीवीडी लागू की जाएगी।
- स्टील मैल्टिंग स्क्रैप और एल्युमिनियम स्क्रैप पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करना।
- कतिपय निर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों और ऐसी औषधियों के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त प्रपुंज औषधियों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना। उन्हें उत्पाद शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क से भी छूट मिल रही हैं।
- डेयरी उत्पाद विनिर्माण और कुक्कट खाद्य सामग्री की लागत घटाने के लिए विटामिन प्रीमिक्सेज तथा खनिज मिश्रण पर सीमाशुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत और फास्फोरिक एसिड पर 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।
- डेयरी उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए और दूध के भंडार व उपयोग होने तक अवधि बढ़ाने के लिए बेक्टोफ्यूज पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से शून्य किया जा रहा है।
- सेट टाप बाक्सों के विशिष्ट पुर्जों और सूचना प्रौद्योगिकी/इलैक्ट्रानिक्स हार्डवेयर उद्योग को सीमा शुल्क से छूट।
- सूचना/संचार क्षेत्र और मनोरंजन क्षेत्र में प्रयोग हो रहे उपकरणों के बीच समानता स्थापित करने हेतु समाभिरुप उत्पादों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।
- खेलों के सामान के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट मशीनरी पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना; खेलों के सामान के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल को भी शुल्क मुक्त किया जा रहा है।
- रत्न और जवाहरात उद्योग द्वारा मूल्यवर्धन और निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए, खुरदरे क्यूबिक जिरकोनिया को सीमा-शुल्क से मुक्त करने और पालिश किए हुए क्यूबिक जिरकोनिया पर उत्पाद-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना, खुरदरे मूंगा पर उत्पाद-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।
- हेलीकाप्टर पायलटों के प्रशिक्षण को सुसाध्य बनाने के लिए, हेलीकाप्टर सिमूलेटरों पर सीमा-शुल्क हटाना।
- घरेलू उर्वरक उत्पादन में सहायता करने के लिए, कच्चे और अपरिष्कृत सल्फर पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करना.
- कीमत में विकृति और राजस्व हानियां ठीक करने के लिए, पोलिमर के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले नाफ्था पर सीमा शुल्क छूट वापस लिए जाने का प्रस्ताव है। पोलिमर के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले नाफ्था पर 5 प्रतिशत की सामान्य दर लगेगी। उर्वरकों के आयातित नाफ्था को आयात शुल्क से छूट मिलती रहेगी।
- क्रोम अयस्क के संरक्षण के लिए और भारत में इसे मूल्यवर्धित विनिर्माण के लिए उपलब्ध कराने हेतु, निर्यात शुल्क 2,000 रुपये प्रति मी. टन से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति मी. टन किया जा रहा है।

उत्पाद शुल्क

- विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सभी वस्तुओं पर सामान्य सेनवैट दर 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत करना।
- फार्मास्यूटिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना;
- बसों और उनकी चेसिस पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करना;
- छोटी कारों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करना और हाइब्रिड कारों पर उत्पाद शुल्क 24 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत की सामान्य संशोधित दर पर करना;
- दुपहियों और तिपहियों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करना;
- जिन यूनिटों के पास संबद्ध बांस/काष्ठ लुगदी बनाने का संयत्र नहीं है उनके लिए कागज, पेपर बोर्ड और उनसे अपारंपरिक कच्चे माल से विनिर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना और 3,500 मी. टन तक की निकासियों पर 8 प्रतिशत से घटाकर शून्य करना। इसके अतिरिक्त, लेखन, मुद्रण और पैकिंग पेपर की कुछ किस्मों पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना।
- आम जनता के उपभोग की वस्तुएं जैसे कम्पोस्टिंग मशीनों, वायरलैस डाटा कार्डों, पैक किए गए नारियल पानी, चाय और काफी मिश्रण और मुरमुरों सहित कुछ वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर शून्य करना।
- जल शुद्धिकरण यंत्रों, परतों और फ्लश दरवाजों, जीवाणुहीन प्रसाधन गद्दियों आदि, निर्दिष्ट पैकेजिंग सामग्री और नाश्ते में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्न सहित कुछ मदों पर उत्पाद-शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना।
- एड्स रोधी औषध, अटाजनवीर के साथ-साथ इसके विनिर्माण के लिए प्रपुंज दवाओं को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट देना।
- 50 किलो वाट बिजली का उपयोग करने वाली 2 टीआर (टन रेफ्रिजरेशन) से अधिक प्रशीतन उपस्कर (जिसमें कंप्रेशर, कंडेंसर यूनिट, इवेपोरेटर आदि शामिल हैं) पर अन्तिम प्रयोग आधार पर छूट देना।
- प्रपुंज सीमेंट और पैकेज्ड सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क दरों में समानता लाना। प्रपुंज सीमेंट पर अब 400 रुपए प्रति मीट्रिक टन अथवा 14 प्रतिशत यथामूल्य, जो भी अधिक हो, का उत्पादन शुल्क लगेगा। सीमेंट की ईंटों (क्लिंकरों) पर 450 रुपए प्रति मीट्रिक टन का उत्पादन शुल्क देय होगा।
- पैकेज्ड सॉफ्टवेयर पर उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करना। जिससे इसे कस्टमाइज्ड साफ्टवेयर की बराबरी पर लाया जा सके, जिस पर 12 प्रतिशत सेवा कर लगेगा।
- फिल्टर रहित सिगरेटों पर उच्च दर लगाते हुए फिल्टर और फिल्टर रहित दोनों सिगरेटों को बराबर किया गया।
- अनब्रान्डेड पेट्रोल और अनब्रान्डेड डीजल पर उत्पाद शुल्क के यथा मूल्य भाग को समाप्त करने और उसके स्थान पर 1.35 रुपए प्रति लीटर का एक समान विशिष्ट शुल्क लगाना; अनब्रांडेड पैट्रोल पर 14.35 रुपये प्रति लीटर का विशिष्ट शुल्क ही लगेगा और अनब्रांडेड डीजल पर 4.60 रुपए प्रति लीटर का केवल एक विशिष्ट शुल्क होगा। खुदरा मूल्यों पर कोई असर नहीं पडेगा।
- एनसीसीडी नामक 1 प्रतिशत का उत्पाद-शुल्क पोलिएस्टर फिलामेंट धागे से हटाकर इसे सेल्युलर मोबाइल फोनों पर लगाना।

सेवा कर

- चार सेवाओं को सेवाकर के दायरे में लाना - यूलिप के अंतर्गत प्रदत्त आस्ति प्रबंधन सेवा; स्टाक/पण्य एक्सचेंजों और समाशोधन गृहों द्वारा प्रदत्त सेवाएं; उन मामलों में जहां वैट देय नहीं हैं, वस्तुओं का प्रयोग करने का अधिकार; और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, जिससे इसे पैकेज्ड सोफ्टवेयर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के बराबर लाया जा सके।
- लघु सेवा प्रदाताओं के लिए छूट की आरंभिक सीमा 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष, 65,000 लघु सेवा प्रदाता कर दायरे से बाहर।

प्रत्यक्ष कर

- वैयक्तिक आयकर स्लैबों में कुछ परिवर्तन, प्रारंभिक सीमा 1,50,000 रुपए। तीन श्रेणियां और कर-दरें निम्नानुसार होंगीः

1,50,000 रुपए तक	शून्य
1,50,001 रुपए से 3,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
5,00,001 रुपए और अधिक	30 प्रतिशत

- महिला निर्धारिती के मामले में 1,45,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की जाए; वरिष्ठ नागरिक के मामले में 1,95,000 रुपए से बढ़ाकर 2,25,000 रुपए की जाए।
- कॉरपोरेट आय कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं।
- अधिभार की दर में कोई परिवर्तन नहीं।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 तथा डाकघर मियादी जमा खाता को आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अन्तर्गत बचत लिखत समूह में शामिल किया जाएगा।
- धारा 80घ के अन्तर्गत 15,000 रूपए की अतिरिक्त कटौती की अनुमति ऐसे व्यक्ति को प्रदान की जाएगी जो अपने माता-पिता के लिए मेडिकल बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है।
- आयकर अधिनियम को संशोधित किया जाएगा जिसमें प्रतिवर्ती बंधक ''अंतरण'' नहीं रहेगा तथा वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त राजस्व को आय नहीं माना जाएगा।
- पौधशाला में पौध लगाकर अथवा बुआई करके उगाए गए पौधों से अर्जित आय पर कर छूट दी जाएगी।
- बीजों का उत्पादन और कृषि साधनों के विनिर्माण में लगी कम्पनियों को आंतरिक वैज्ञानिक अनुसंधान पर होने वाले किसी व्यय पर 150 प्रतिशत भारित कटौती की अनुमति प्राप्त होगी
- सेवा क्षेत्र में निर्धारितियों को धारा 35घ के अन्तर्गत कुछ प्राथमिक खर्चों का परिशोधन के लाभ प्राप्त होगा।
- डीमैट रूप में जारी और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कारपोरेट ऋण लिखतों को स्रोत पर कर की कटौती से छूट दी जाएगी।
- शिशु सदन सुविधा, किसी खिलाड़ी कर्मचारी का प्रायोजन, कर्मचारियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन और अतिथि गृहों को एफबीटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

- मूल कम्पनी को इसकी सहायक कम्पनी से प्राप्त लाभ का समंजन मूल कम्पनी द्वारा वितरित लाभांश में से करने की अनुमति प्राप्त होगी, बशर्ते प्राप्त लाभाशं पर डीटीपी लगाया गया है और मूल कम्पनी किसी अन्य कम्पनी की सहायक कम्पनी न हो

- ग्रेटर मुम्बई, दिल्ली (फरीदाबाद, गुड़गाँव, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिला सहित), कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद (सिकंदराबाद सहित), बेंगलुरु और अहमदाबाद (गाँधीनगर सहित) के शहरी समूहों के बाहर किसी स्थान में स्थित अस्पतालों को पंचवर्षीय करावकाश प्रदान करने के लिए धारा 80झख में एक नई उप-धारा (11ग) जोड़ी गयी है।

- यूनेस्को द्वारा घोषित 'विश्व विरासत स्थलों' के विनिर्दिष्ट जिलों में स्थापित दो, तीन अथवा चार सितारा होटलों को आयकर से पांच वर्ष का करावकाश प्रदान किया। होटल का निर्माण और कार्य आरंभ 1 अप्रैल, 2008 और 31 मार्च, 2013 के बीच की अवधि में होना चाहिए।

- कयर बोर्ड को धारा 10(29क) में शामिल किया जाएगा और वह आय कर के दायरे से बाहर हो जाएगा।

- धारा 111क और धारा 115कघ के तहत अल्पावधिक पूँजी लाभों पर कर की दर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

- एसटीटी को व्यापार आय में से किसी अन्य कटौती योग्य व्यय के रूप में माना जाएगा। ऑप्शनों के मामले में, एसटीटी का उद्ग्रहण केवल इस ऑप्शन पर किया जाएगा, जहां आप्शन का प्रयोन न किया गया हो और यह देयता विक्रेता पर होगी। प्रयोग किए गए ऑप्शन के मामले में कर, निपटान मूल्य पर लगाया जाएगा और देयता क्रेता पर होगी। वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

- ऑप्शनों और फ्यूचरों पर एसटीटी की तर्ज पर पण्य लेन-देन कर (सीटीटी) आरंभ किया जाएगा।

- कंपनियां, जो किसी कारोबार, वाणिज्य अथवा व्यापार संबंधी कोई नियमित कारोबार, वाणिज्य अथवा व्यापार चला रही है अथवा इनके विषय में सेवा प्रदान कर रही है और आय का अर्जन कर रही हैं, को शामिल न किए जाने हेतु कानून में संशोधन किया जाएगा, इससे वास्तविक धर्मार्थ संगठन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे।

- बैंकिंग नकद लेन-देन कर (बीसीटीटी) को 1 अप्रैल, 2009 से वापस लिया जा रहा है।

केन्द्रीय बिक्री कर और वस्तु और सेवा कर संबंधी कार्ययोजना

- 1 अप्रैल, 2008 से केन्द्रीय बिक्री कर 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जा रहा है।

- 1 अप्रैल, 2010 से वस्तु और सेवा का आरंभ करने हेतु इसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है।